



कुलाधिपति  
Chancellor

महर्षि दयानन्द सरस्वती  
विश्वविद्यालय,  
Maharishi Dayanand Saraswati  
University,  
राज भवन, जयपुर - 302006  
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक एफ.26(4)आरबी / 2017/289/  
दिनांक 17 अप्रैल, 2018

### आदेश

मैं, कल्याण सिंह, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 1987 (यथासंशोधित 2017) की धारा 19(3) व 19(7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खोजबीन समिति की सिफारिश पर, राज्य सरकार के परामर्श से प्रोफेसर विजय श्रीमाली, व्यवसाय प्रशासन विभाग, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर को कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का कुलपति नियुक्त करता हूँ।

ह0

( कल्याण सिंह )  
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक एफ.26(4)आरबी / 2017/2892-97

दिनांक 17 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च, तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, मान0 मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. श्री भगीरथ सिंह, कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
5. प्रोफेसर विजय श्रीमाली, व्यवसाय प्रशासन विभाग, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
6. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

( कीर्ति शर्मा )  
विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा